UPSR010008112026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– राकेश धर दुबे, **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP02008**

जमानत आवेदन नं०-338/2026

अनवर अली उम्र लगभग 30 वर्ष पुत्र रमजान अली,

निवासी–रमवापुर चौराहा, थाना–रानीपुर, जनपद–बहराइच। .....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

राज्य उ0 प्र0 .....अभियोगी

अ0 सं0–82/2025
धारा–305(ए), 331(4), 317(2),
317(4) बी0एन0एस0
थाना–नवीन मार्डन पुलिस थाना
जिला–श्रावस्ती

दिनांक 06.05.2026

निस्तारण जमानत आवेदन

1– वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक/अभियुक्त **अनवर अली** की ओर से अपराध संख्या 82/2025, धारा 305(ए), 331(4), 317(2), 317(4) बी0एन0एस0, थाना नवीन मार्डन पुलिस थाना, जिला श्रावस्ती के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार हैः–वादिनी मुकदमा विट्टू देवी ने प्रभारी निरीक्षक थाना नवीन मार्डन पुलिस थाना, जनपद श्रावस्ती को दिनांक 19.09.2025 को इस आशय की तहरीर दिया कि दिनांक 19.09.2025 को रात 2 बजे के बाद अज्ञात चोर द्वारा उसके घर में घुसकर ताला खोलकर दो जोड़ी झाला, दो जोड़ी पायजेब, एक कील, एक सिंगल पायल, 20,000/–नगद बक्से में रखा हुआ चुरा ले गये हैं। जब वह सुबह उठी तो उसे जानकारी हुई तब वह सूचना दे रही है। अतः आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

3– जमानत आवेदन के समर्थन में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता/एल0ए0डी0सी0 द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन का सम्पूर्ण कथानक असत्य एवं निराधार है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई घटना कारित नहीं किया है। दर्शाये गये घटना में किसी व्यक्ति द्वारा माल को चुराते हुए या ले जाते हुए वादी मुकदमा या किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं देखा है और न आवेदक/अभियुक्त को चोरी करते समय पहचानने की बात कही है। बिल्कुल झूठे एवं फर्जी तरीके से आरोप

Digitally signed by RAKESH DHAR DUBEY
Date: 2026.05.06 16:00:02 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लगाकर चालान कर दिया है। आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष है।आवेदक/अभियुक्त के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है दर्शायी गयी बरामदगी झूठी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने की याचना की गयी।

4– राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा के घर में चोरी की गयी है और चोरी किया गया सामान आवेदक/अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुआ है तथा आवेदक/अभियुक्त अभ्यसतः चोर है।आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास है। आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता/एल0 ए0 डी0 सी0 एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6– सत्र वाद सं0 149/2026, राज्य प्रति मैनुद्दीन आदि, थाना नवीन मार्डन पुलिस थाना श्रावस्ती से सम्बन्धित केस डायरी तथा सुसंगत अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रेषित किया गया है। पत्रावली सत्र सुपुर्द की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में पंजीकृत करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने पास से किसी चोरी के सामान की बरामदगी से इंकार किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है जिसके सम्बन्ध में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त की ओर से कहा गया है कि उसे किसी मामले में न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है। सह अभियुक्त मैसर अली का जमानत आवेदन सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 17.02.2026 को एवं अभियुक्त मैनुद्दीन उर्फ खुरचाली उर्फ लम्बू का जमानत आवेदन दिनांक 21.04.2026 को स्वीकार किये गये हैं। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 01.01.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले पर कोई अन्तिम राय प्रकट किये बिना, इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का जमानत आवेदन सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **अनवर अली** का जमानत आवेदन निम्न शर्तो के साथ स्वीकार किया जाता हैः–

(i)– यह कि आवेदक/अभियुक्त अति विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(ii)– यह कि साक्षी के उपस्थित होने पर तथा धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत

बयान हेतु नियत तिथियों पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

(iii)– यह कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी/अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के उल्लंघन किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त की जा सकेगी।

उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में अण्डरटेकिंग तथा पचास हजार रूपये की दो जमानतें व समान धनराशि का निजी बंधपत्र न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

(राकेश धर दुबे)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती

दिनांक 06.05.2026